

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-226

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।

लोअर सुबनसिरी जलविद्युत परियोजना का निर्माण

\*226. श्री अजीत कुमार भुयान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (एनएचपीसी) लिमिटेड द्वारा लोअर सुबनसिरी जलविद्युत परियोजना का निर्माण कार्य वर्तमान में जारी है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार इस परियोजना के पूर्ण होने पर इसका प्रचालन तुरंत शुरू की योजना बना रही है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

## विवरण

"लोअर सुबनसिरी जलविद्युत परियोजना का निर्माण" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 10.08.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 226 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

(क) से (ग): एनएचपीसी लि. द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 2000 मेगावाट क्षमता (8x250 = 2000 मेगावाट) की सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना का निष्पादन किया जा रहा है एवं परियोजना निर्माणाधीन है। 250 मेगावाट की दो इकाईयों को अगस्त, 2022 तक आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया है जबकि 250 मेगावाट की शेष 6 इकाईयों को अगस्त, 2023 तक आरंभ करने का शिड्यूल है। सभी कार्यों का समापन होने पर (इकाई-वार), प्री-कमिशनिंग टेस्ट किया जाएगा और इसके सफलतापूर्वक पूरा होने पर इकाई आरंभ की जाएगी।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-231

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना

\*231. श्री देरेक ओब्राईन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में ऊर्जा के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग के संबंध में कोई डाटा संग्रहित किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) ऊपर उल्लिखित उपभोग के कितने प्रतिशत की पूर्ति ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों द्वारा की जा सकती है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न आर्थिक विकास योजनाओं में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने तथा इस संबंध में राज-सहायता देने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं, यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है और आगामी पांच वर्षों के लिए तत्संबंधी अनुमानों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

## विवरण

"नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 10.08.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 231 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

(क) से (ग) : जी हाँ। देश में विभिन्न विद्युत यूटिलिटीयों द्वारा आंकड़े एकत्रित किए गए हैं तथा राज्यों तथा विद्युत यूटिलिटीयों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत का संकलन तथा परिकलन करता है। वर्ष 2020-21 के दौरान प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 3.18 किलोवाट प्रति दिन प्रति घंटा थी। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल विद्युत खपत में नवीकरणीय ऊर्जा के हिस्से की प्रतिशतता 21.6% थी।

30 जून, 2021 की स्थिति के अनुसार, देश में कुल लगभग 143 गीगावाट (जीडब्ल्यू) नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (वृहद् जल-विद्युत परियोजनाओं सहित) संस्थापित की गई है। वर्ष 2030 तक वृहद् जल-विद्युत परियोजनाओं सहित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 513 गीगावाट तक होने की संभावना है। इस क्षमता अभिवृद्धि सहित, कुल उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा के हिस्से की प्रतिशतता 39% होने की संभावना है।

देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- (i) स्वचालित रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति,
- (ii) सरकार ने जल-विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 08 मार्च, 2019 को उपाय जारी किए हैं जिनके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

क. वृहद् जल-विद्युत परियोजनाओं (>25 मेगावाट) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में घोषित करना।

ख. जल-विद्युत प्रशुल्क को कम करने के लिए प्रशुल्क युक्तिकरण उपाय।

ग. बाढ़ नियंत्रण/भंडारण जल-विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के लिए बजटीय सहायता।

घ. समर्थकारी अवसंरचना अर्थात् सड़क/पुलों की लागत के लिए बजटीय सहायता।

ड. इसके बाद, सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 से वर्ष 2029-30 तक की अवधि के लिए दिनांक 29.01.2021 को जल-विद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ) ट्रेजेक्टरी भी अधिसूचित की गई है।

- (iii) 30 जून, 2025 तक चालू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए सौर तथा पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय बिक्री हेतु पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभारों का अधित्याग,
- (iv) दो वर्षों के लिए अर्थात् दिनांक 30.06.2023 तक जीटीएम और ग्रीन डे अहैड मार्केट (जीडीएम) में सौर, पवन, पम्पड भंडारण संयंत्रों (पीएसपी) और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) से उत्पादित/आपूर्ति विद्युत के व्यापार के लिए पारेषण प्रभारों के अधित्याग की अनुमति दी गई है।
- (v) नवीकरणीय विद्युत की निकासी के लिए हरित ऊर्जा कॉरीडोर स्कीम के अंतर्गत नई पारेषण लाइनें बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता का सृजन करना,
- (vi) वर्ष 2022 तक नवीकरणीय क्रय उत्तरदायित्व (आरपीओ) के लिए ट्रेजेक्टरी की घोषणा,
- (vii) प्लग एंड प्ले आधार पर आरई विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण उपलब्ध कराने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना,
- (viii) प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), सोलर रूफटॉप चरण-II, 12000 मेगावाट सीपीएसयू स्कीम चरण-II आदि जैसी स्कीमें,
- (ix) सोलर फोटोवोल्टेक प्रणाली/उपकरणों के परिनियोजन के लिए मानकों की अधिसूचना,
- (x) निवेश को आकर्षित करने और सुकर बनाने के लिए परियोजना विकास प्रकोष्ठ की स्थापना,
- (xi) ग्रिड संबद्ध सोलर पीवी एवं पवन विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश,
- (xii) सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि आरई उत्पादकों को वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए साख-पत्र (एलसी) अथवा अग्रिम भुगतान के निमित्त ही विद्युत प्रेषित की जाएगी,
- (xiii) देश में पावर एक्सचेंजों के माध्यम से आरई विद्युत की खरीद को सुकर बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहैड मार्केट (जीटीएम) की शुरुआत,
- (xiv) आरई परियोजनाओं की स्थापना, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए कुशल जनशक्ति का पूल तैयार करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2542

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।

पहाड़ी राज्यों में जल-विद्युत परियोजनाएं

2542. श्रीमती अम्बिका सोनी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश के पहाड़ी राज्यों में जल-विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में एक व्यापक सुविचारित नीति बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने पहाड़ी राज्यों सहित देश में जल-विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए जल-विद्युत नीति, 2008 जारी की है।

जल-विद्युत नीति, 2008 की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- (i) निजी विकासकर्ताओं को स्थल अवॉर्ड करने के लिए राज्यों द्वारा पारदर्शी चयन प्रक्रिया/मानदंड अपनाए जाएंगे।
- (ii) राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति, 2006 के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उपलब्ध, प्रशुल्क आधारित बोली से छूट संबंधी व्यवस्था को जनवरी, 2011 (संशोधित प्रशुल्क नीति, 2016 द्वारा इसे 15.08.2022 तक बढ़ाया गया) तक निजी क्षेत्र जल-विद्युत परियोजनाओं के लिए भी बढ़ाया गया था।
- (iii) परियोजना विकासकर्ता (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जल-विद्युत विकासकर्ता) को परियोजना स्थल प्राप्त करने में उसके द्वारा व्यय की गई लागत की वसूली हेतु, यह नीति विकासकर्ता को बिक्री-योग्य ऊर्जा के अधिकतम 40% तक मर्चेन्ट बिक्री के माध्यम से विशेष प्रोत्साहन की अनुमति देती है।

- (iv) परियोजना से 1% अतिरिक्त निःशुल्क विद्युत (मेजबान राज्य के लिए अधिक से अधिक 12% निःशुल्क विद्युत के अलावा) प्रदान की जाएगी और स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए निर्धारित की जाएगी, जिसका उद्देश्य परियोजना के समयावधि में सतत और निरंतर आधार पर आय सृजन और कल्याणकारी स्कीमों के लिए राजस्व के नियमित प्रवाह, अतिरिक्त अवसंरचना और आम सुविधाओं आदि का निर्माण करना है।
- (v) विकासकर्ता प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को सीओडी से 10 वर्षों के लिए नकद या वस्तु या दोनों के संयोजन को प्रति माह 100 यूनिट विद्युत प्रदान करेगा।
- (vi) विकासकर्ता परियोजना क्षेत्र के आसपास ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यान्वयन में सहायता करेगा और आरजीजीवीवाई स्कीम (वर्ष 2014 से डीडीयूजीजेवाई के तहत समाहित) के अंतर्गत राज्य सरकार को 10% हिस्से का योगदान देगा।

सरकार ने देश में जल-विद्युत के विकास के लिए विगत में कई नीतिगत प्रयास किए थे नामतः राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2005; राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति, 2016; राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति, 2007 और भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम, 2013।

तदुपरांत, सरकार ने जल-विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 08 मार्च 2019 को उपाय भी जारी किए हैं जिनके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

- i) बड़ी जल-विद्युत परियोजनाओं (>25 मेगावाट) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में घोषित करना।
- ii) जल-विद्युत प्रशुल्क को कम करने के लिए प्रशुल्क युक्तिकरण उपाय।
- iii) बाढ़ नियंत्रण/भंडारण जल-विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के लिए बजटीय सहायता।
- iv) समर्थकारी अवसंरचना अर्थात् सड़क/पुलों की लागत के लिए बजटीय सहायता।

इसके बाद, सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 से वर्ष 2029-30 तक की अवधि के लिए दिनांक 29.01.2021 को जल-विद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ) ट्रेजेक्टरी भी अधिसूचित की गई है।

ये उपाय पहाड़ी क्षेत्रों/राज्यों में, जल-विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए विशेष रूप से लाभदायक होंगे जो प्रायः दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित हैं और जिनको भारी, बड़े आकार के उपकरण और मशीनरी को परियोजना स्थल तक पहुंचाने के लिए सघन संबद्ध अवसंरचना जैसे सड़कों, पुलों आदि के विकास की आवश्यकता होती है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-2543

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।

एनटीपीसी द्वारा चेहरे की पहचान करने संबंधी प्रौद्योगिकी का प्रयोग

2543. श्री अखिलेश प्रसाद सिंह:

श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) अपने कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए चेहरे की पहचान करने संबंधी प्रौद्योगिकी (एफआरटी) को किस कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत लागू करना चाहता है;
- (ख) क्या सरकार की मंशा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में एफआरटी के प्रयोग का विस्तार करने की है;
- (ग) एनटीपीसी द्वारा एफआरटी के प्रयोग से उसके कर्मचारियों की निजता के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, के संबंध में सरकार द्वारा क्या कानूनी औचित्य दिया गया है;
- (घ) क्या कर्मचारियों के लिए एफआरटी के अधीन आने के लिए स्पष्ट सहमति देना अपेक्षित होगा; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सहमति कैसे ली जाएगी तथा स्पष्ट सहमति नहीं देने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : एनटीपीसी फेसियल रिकोग्नीशन टेक्नोलोजी (एफआरटी) के क्रियान्वन में इलैक्ट्रॉनिक एवं बायोमैट्रिक आंकड़ों के लिए लागू देश के कानून का अनुपालन करती है। विकासशील संगठन के रूप में, एनटीपीसी द्वारा अनुशासन, गुणवत्ता और व्यक्ति की निजता से समझौता किए बिना कर्मचारियों की उपस्थिति लेने के संदर्भ में नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाया गया है। इस पृष्ठभूमि में, एनटीपीसी एफआरटी सहित अपने कर्मचारियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति का उपयोग कर रही है। कोविड के समय के दौरान एफआरटी के उपयोग में वृद्धि हुई है क्योंकि यह कर्मचारियों की संपर्क रहित उपस्थिति लेती है जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं संरक्षा में वृद्धि हुई है। विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) अपने निगमित अभिशासन आवश्यकताओं के आधार पर उपस्थिति प्रोटोकॉल पर स्वयं निर्णय लेते हैं। विद्युत मंत्रालय ने इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं।

(ग) से (ङ) : एनटीपीसी ने उपस्थिति हेतु लिए गए बायोमैट्रिक आंकड़ों की सुरक्षा और एनटीपीसी में अभिगम नियंत्रण प्रणाली संबंधी आंतरिक नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए हैं। एनटीपीसी की नीति के अनुसार, एफआरटी के क्रियान्वयन के लिए कर्मचारियों की सहमति आवश्यक नहीं होती है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2544

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।

विद्युत डिस्कॉम्स की बकाया राशि

2544. श्री पी. विल्सन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश के विभिन्न भागों, विशेषतः तमिलनाडु में विद्युत वितरण और पारेषण कंपनियों की बकाया राशि चुका दी गई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार ने देश के, विशेषतः तमिलनाडु के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के पूर्ण विद्युतीकरण को प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) लॉकडाउन के दौरान, विशेषतः तमिलनाडु में राज्य के स्वामित्व वाले डिस्कॉम्स को कोविड-19 के कारण हुए राजस्व घाटे का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) सरकार द्वारा पूरे भारत में, विशेषतः तमिलनाडु में डिस्कॉम्स के पुनरुद्धार के लिए कौन-कौन सी योजनाएं आरंभ/तैयार की गई हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) ने कोविड के कारण हुई हानियों सहित, हानियों का अलग-अलग ब्यौरा नहीं देते हैं। तथापि, तमिलनाडु राज्य ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में कम वोल्टेज और उच्च वोल्टेज उपभोक्ताओं से 3,243.59 करोड़ रूपयों के राजस्व कमी की सूचना प्रदान की है। साथ ही, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, डिस्कॉम्स को देय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की बकाया राशियां दिनांक 31.03.2020 से 30.06.2020 के बीच 14,619 करोड़ रुपये बढ़ गई हैं, जबकि उसी अवधि के दौरान, सीपीएसयू जेनकोस एवं ट्रांस्कोस, स्वतंत्र आईपीपी और आरई उत्पादकों को देय डिस्कॉम्स की बकाया राशियां 45,505 करोड़ रुपये बढ़ गई हैं। इन वृद्धियों के कारणों में कोविड-19 का प्रभाव भी शामिल है। कोविड के कारण उभरीं वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) की लिक्विडिटी की समस्या का समाधान करने के लिए, भारत सरकार ने दिनांक 13 मई, 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में लिक्विडिटी निषेचन स्कीम (एलआईएस) की घोषणा की थी। इस हस्तक्षेप के अंतर्गत, आरईसी लिमिटेड एवं पावर फाइनेंस

कॉर्पोरेशन (पीएफसी) द्वारा दिनांक 30.06.2020 को मौजूद केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) उत्पादन कंपनियों (जेनकोस) तथा पारेषण कंपनियों (ट्रांस्कोस), स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपीज) और नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) उत्पादकों की बकाया देयराशियों के परिसमापन के लिए डिस्कॉमों को विशेष दीर्घावधिक ट्रांजिशन ऋण प्रदान किए गए हैं।

लिक्विडिटी निषेचन स्कीम के अंतर्गत, दिनांक 31.07.2021 की स्थिति के अनुसार, आरईसी लिमिटेड एवं पीएफसी ने संयुक्त रूप से तमिलनाडु राज्य को दी गई 30,230 करोड़ रुपये की राशि सहित 16 राज्यों को 1.35 लाख करोड़ रुपये की संस्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, आरईसी एवं पीएफसी दोनों ने तमिलनाडु राज्य को दी गई 14,700 करोड़ रुपये की राशि सहित 15 राज्यों को 79,676 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं। इसके राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

दिनांक 30.06.2021 की मौजूदा स्थिति के अनुसार, सीपीएसयू जेनकोस और ट्रांस्कोस, आईपीपी और आरई उत्पादकों को दी जाने वाली डिस्कॉमों की बकाया देयराशियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

भारत सरकार द्वारा देश के शहरी क्षेत्रों के सभी गरीब घरों और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी गैर-विद्युतीकृत घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करते हुए घरों का सार्वभौमिक विद्युतीकरण प्राप्त करने हेतु अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य की शुरुआत की गई थी।

सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत, दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, सभी राज्यों ने दिनांक 31.03.2019 से पूर्व अभिचिह्नित, सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों के 100 प्रतिशत विद्युतीकरण की सूचना दी है। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सौभाग्य की शुरुआत से, दिनांक 31.03.2021 तक, 2.817 करोड़ घर विद्युतीकृत हो गए हैं।

तमिलनाडु राज्य ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में घरों का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण पहले ही हासिल कर लिया था; तदनुसार, सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत राज्य के लिए किसी भी परियोजना को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

(ड) : पहले से ही उल्लिखित लिक्विडिटी निषेचन स्कीम के अलावा, केंद्रीय सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए 3,03,758 करोड़ रुपये के परिव्यय सहित संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम - सुधार - आधारित और परिणाम - संबद्ध स्कीम को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य पूर्व-निर्धारित मानदंड पूरा करने के साथ-साथ डिस्कॉम द्वारा मूलभूत न्यूनतम मापदंडों की अधिप्राप्ति तथा परस्पर सहमत कार्ययोजनाओं के आधार पर, आपूर्ति अवसंरचना के सुदृढीकरण हेतु डिस्कॉमों को सशर्त वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराते हुए सभी डिस्कॉमों/विद्युत विभागों (निजी क्षेत्र के डिस्कॉमों को छोड़कर) की प्रचालनात्मक दक्षताओं और वित्तीय स्थिरता का सुधार करना है। इस स्कीम का उद्देश्य एटी एंड सी हानियों को घटाकर 12-15% के अखिल भारतीय स्तर पर लाना तथा वर्ष 2024-25 तक एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य तक लाना है। तमिलनाडु सहित सभी राज्य इन स्कीमों के लाभों को उठाने के योग्य हैं।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-I**

राज्य सभा में दिनांक 10.08.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2544 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

दिनांक 30.06.2021 तक की स्थिति के अनुसार आरईसी एवं पीएफसी द्वारा एलआईएस के अंतर्गत संस्वीकृत एवं संवितरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्वीकृत ऋण	संवितरण
1	आंध्र प्रदेश	8,370	7,423
2	तेलंगाना	12,652	12,576
3	मणिपुर	111	111
4	बिहार	3,503	3,492
5	उत्तर प्रदेश	33,923	27,940
6	राजस्थान	6,574	2,032
7	पश्चिम बंगाल	1,021	454
8	जम्मू एवं कश्मीर	11,024	6,012
9	तमिलनाडु	30,230	14,700
10	हिमाचल प्रदेश	276	138
11	मेघालय	1,345	673
12	पुद्दुचेरी	150	25
13	पंजाब	4,000	1,000
14	कर्नाटक	7,247	-
15	महाराष्ट्र	14,310	2,500
16	उत्तराखंड	800	600
कुल		135,536	79,676

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-II**

राज्य सभा में दिनांक 10.08.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2544 के भाग (क) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

<b>30.06.2021 तक की स्थिति के अनुसार डिस्कॉमों की बकाया देयराशियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण</b>					
क्रम सं.	राज्य	सीपीएसयू जेनको	स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी)	आरई उत्पादक	केंद्रीय ट्रांसको (पीजीसीआईएल)
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	1,543	697	1,034	81
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-
3	असम	179	21	0	65
4	बिहार	2,090	669	72	367
5	छत्तीसगढ़	2,033		230	227
6	गोवा	-	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-
8	हरियाणा	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	163	52	2	74
10	जम्मू एवं कश्मीर	9,602	4	-	1,222
11	झारखंड	-	-	-	-
12	कर्नाटक	3,954	230	1,929	444
13	केरल	122	64	-	7
14	लद्दाख	-	-	-	-
15	मध्य प्रदेश	-	-	-	-
16	महाराष्ट्र	3	585	2,330	-
17	मणिपुर	119	-	-	30
18	मेघालय	907	76	-	44
19	मिजोरम	-	-	-	-
20	नागालैंड	-	-	-	-
21	ओडिशा	272	-	-	-
22	पंजाब	-	-	23	-
23	राजस्थान	918	2,245	1,532	308
24	सिक्किम	210	-	-	11
25	तमिलनाडु	4,286	6,799	2,335	433
26	तेलंगाना	594	1,683	1,981	109
27	त्रिपुरा	159	-	-	17
28	उत्तर प्रदेश	3,456	4,675	388	814
29	उत्तराखंड	35	73	2	44
30	पश्चिम बंगाल	1,084	538	19	63
31	लक्षद्वीप	-	-	-	-
32	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं द्वीव	-	-	-	-
33	पुदुचेरी	-	-	-	-
34	अंडमान एवं निकोबार	-	-	-	-
35	चंडीगढ़	-	-	-	-
36	दिल्ली	-	-	-	-
<b>कुल योग</b>		<b>31,729</b>	<b>18,411</b>	<b>11,877</b>	<b>4,359</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2545

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।

बिजली खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को विकल्प

**2545. श्री सुशील कुमार गुप्ता:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार की बिजली उपभोक्ताओं को अनेक सेवा प्रदाताओं में से विकल्प चुनने की सुविधा देने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित करने की योजना है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह भी सच है कि ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने सरकार से इसके मसौदे को सार्वजनिक करने के बाद सभी हितधारकों, विशेषतः बिजली कर्मचारियों और उपभोक्ताओं की टिप्पणियों और सुझावों पर चर्चा करने के लिए विधेयक को रोके जाने का आग्रह किया है; और
- (घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**

**(श्री आर.के. सिंह)**

**(क) से (घ) :** दिनांक 01.02.2021 को केंद्रीय बजट 2021-22 में निम्नलिखित घोषणा की गई है:

*“देश भर में संवितरण कंपनियों का अपना एकाधिकार रहा है - चाहे वह सरकारी कंपनी हो या निजी कंपनी। अब हमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की जरूरत है जिससे कि उपभोक्ताओं को विकल्प मिल सके। उपभोक्ताओं को एक से अधिक संवितरण कंपनियों में से एक का चयन करने का विकल्प देने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा”*

बजट घोषणा के अनुसार, राज्य सरकार, वितरण कंपनियां, विद्युत विनियामक आयोग, जो उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण भी करते हैं, प्रयास जैसे उपभोक्ता समूहों और अन्य विद्युत क्षेत्र की यूटिलिटियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ कई बैठकें आयोजित की गई थीं। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन से भी सुझाव प्राप्त हुए हैं। दिनांक 03.03.2021 को आयोजित परामर्शदात्री समिति की बैठक में भी इन प्रस्तावित सुधारों पर चर्चा की गई जिसमें माननीय संसद सदस्यों ने प्रस्ताव का स्वागत किया।

उपभोक्ताओं को एक से अधिक वितरण कंपनियों में से चयन करने का विकल्प देने के लिए परिकल्पित फ्रेमवर्क विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन की मांग करता है, जिसके लिए वांछित प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2546

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।

बढ़ी ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई)

2546. श्री जॉन ब्रिट्टास:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) बढ़ी ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईईई) और परफार्म अचीव एंड ट्रेड (पीएटी) तथा ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार परिवर्तन (एमईईईई) सहित इसके अंतर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) क्या पीएटी चक्र III और IV ने अपने-अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) पीएटी चक्र VI के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री  
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईईई) में ऊर्जा सघन उद्योगों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए चार शुरुआतें शामिल हैं जो निम्नानुसार हैं;

- (i) निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार (पीएटी) स्कीम का उद्देश्य आधिक्य ऊर्जा बचतों के प्रमाणन जिनका व्यापार किया जा सकता है, के माध्यम से लागत प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए संबद्ध विपणन तंत्र के साथ, विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) अर्थात् ऊर्जा सघन क्षेत्रों में नामित उपभोक्ताओं (डीसी) हेतु उत्पादन की प्रति यूनिट ऊर्जा उपयोग को कम करना है। ऊर्जा बचत लक्ष्यों के साथ पीएटी स्कीम (चक्र-I से चक्र-VI तक) के अंतर्गत क्षेत्र-वार नामित उपभोक्ता (डीसी) अनुबंध में दिए गए हैं।
- (ii) ऊर्जा दक्षता हेतु बाजार रूपांतरण (एमटीईईई) का उद्देश्य प्रोत्साहन तथा नवप्रवर्तन व्यापार मॉडलों के माध्यम से विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता उपकरणों के बदलाव में तीव्रता लाना है। एमटीईईई के अंतर्गत, बाजार में ऊर्जा प्रभावी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किए गए थे:

**बचत लैम्प योजना (बीएलवाई):** यह कार्यक्रम अदक्ष बल्बों को कॉम्पैक्ट फ्लूरोसेंट लैम्पों (सीएफएल) से बदलने के लिए विकसित किया गया था। सीएफएल से बदले गए बल्बों और बचत की गई ऊर्जा का ब्यौरा निम्नानुसार है:

सीएफएल से बदले गए बल्बों की संख्या	बचत की गई ऊर्जा
29 मिलियन	3.598 बिलियन यूनिट प्रति वर्ष

**अति दक्ष उपकरण कार्यक्रम (एसईईपी):** यह कार्यक्रम अंतःक्षेपों की महत्वपूर्ण स्थिति/स्थितियों में अभिनव रूप से वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध करा कर अति दक्ष उपकरणों के बाजार रूपांतरण के लिए अभिकल्पित किया गया था।

- (iii) **ऊर्जा दक्ष वित्तपोषण प्लेटफॉर्म (ईईएफपी)** ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संस्थाओं (एफआई) और परियोजना विकासकर्ताओं के साथ चर्चा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने हेतु शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं में वित्तपोषण को प्रोत्साहित करने के लिए बीईई द्वारा समझौता ज्ञापनों (एमओयूज) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वित्तीय संस्थाओं की क्षमता निर्माण के लिए, बीईई द्वारा ऊर्जा दक्ष वित्तपोषण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भारतीय बैंक एसोसिएशन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- (iv) **ऊर्जा दक्ष आर्थिक विकास के लिए फ्रेमवर्क (एफईईईडी)** को ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय प्रपत्र विकसित करने के लिए अभिकल्पित किया गया था। इसका उद्देश्य चूक जोखिम, जिसका भागीदार वित्तीय संस्थानों द्वारा पात्र ऊर्जा दक्ष उप-परियोजनाओं को ऋण प्रदान करने में सामना करना पड़ता है, के हिस्से को शामिल करने के लिए आंशिक ऋण गारंटियां प्रदान करने के लिए आंशिक जोखिम भागीदारी सुविधा (पीआरएसएफ) जैसी ऊर्जा दक्ष स्कीमों के क्रियान्वयन के माध्यम से संबंधित हितधारकों को सुविधा उपलब्ध कराना था। भागीदार वित्तीय संस्थानों (पीएफआईज) द्वारा दिए गए प्रत्येक ऊर्जा बचत ऋण की ऋण राशि का 40-75% तक अथवा 15 करोड़ रुपये प्रति परियोजना की गारंटी कवरेज के साथ अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए आंशिक गारंटी दी जाती है।

**(ख) :** पीएटी चक्र-III दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से शुरू हुआ और 31 मार्च, 2020 को पूरा हो गया। पीएटी चक्र-III में समग्र ऊर्जा खपत में 1.06 एमटीओई की कमी प्राप्त करने का प्रयास किया गया था जिसके लिए छह क्षेत्रों नामतः ताप विद्युत संयंत्र, सीमेंट, एल्युमीनियम, लुगदी एवं कागज, लौह एवं इस्पात तथा वस्त्र क्षेत्रों से 116 नामित उपभोक्ताओं (डीसी) को अधिसूचित करने का लक्ष्य रखा गया था। अगला कदम वास्तविक ऊर्जा बचत का सत्यापन करना है।

पीएटी चक्र-IV दिनांक 01 अप्रैल, 2018 को आरंभ हुआ। 0.6998 मिलियन टन तेल के समतुल्य प्राक्कलित ऊर्जा खपत की कमी के लक्ष्य के साथ कुल 106 नामित उपभोक्ता अधिसूचित किए गए थे। ये नामित उपभोक्ता पीएटी चक्र-I के 6 मौजूदा क्षेत्रों और दो नए क्षेत्रों नामतः पेट्रो रसायन एवं वाणिज्यिक भवनों (होटलों) को शामिल करते हुए 8 क्षेत्रों से संबंधित थे। इन नामित उपभोक्ताओं का मूल्यांकन वर्ष कोविड-19 महामारी के प्रादुर्भाव के कारण प्रभावित हुआ है और इसलिए उनके कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन शुरू नहीं हुआ है।

**(ग) :** पीएटी चक्र-VI दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से आरंभ हुआ था। पीएटी चक्र-VI के अंतर्गत, छह क्षेत्रों अर्थात् सीमेंट, वाणिज्यिक भवनों (होटलों), लौह एवं इस्पात, पेट्रोलियम रिफाइनरी, लुगदी एवं कागज और वस्त्र से 135 नामित उपभोक्ता अधिसूचित किए गए थे। पीएटी चक्र-VI के क्रियान्वयन से, 1.276 एमटीओई की कुल ऊर्जा बचत प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ये 135 नामित उपभोक्ता अपने अधिसूचित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न ऊर्जा दक्ष उपायों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के अधीन हैं।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 10.08.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2546 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

क्रम सं.	क्षेत्र	पीएटी चक्र-I			पीएटी चक्र-II			पीएटी चक्र-III		पीएटी चक्र-IV		पीएटी चक्र-V		पीएटी चक्र-VI		कुल डीसीज (पीएटी चक्र-I से पीएटी चक्र-VI)
		डीसीज की कुल संख्या	ऊर्जा बचत लक्ष्य (एमओटीई)	उपलब्धियां (एमओटीई)	डीसीज की कुल संख्या	ऊर्जा बचत लक्ष्य (एमओटीई)	उपलब्धियां (एमओटीई)	डीसीज की कुल संख्या	ऊर्जा बचत लक्ष्य (एमओटीई)	डीसीज की कुल संख्या	ऊर्जा बचत लक्ष्य (एमओटीई)	डीसीज की कुल संख्या	ऊर्जा बचत लक्ष्य (एमओटीई)	डीसीज की कुल संख्या	ऊर्जा बचत लक्ष्य (एमओटीई)	
1	एल्यूमीनियम	10	0.456	0.73	12	0.466	1.23	1	0.061			1	0.0739			14
2	सीमेंट	85	0.815	1.48	111	1.117	1.56	14	0.096	1	0.004	12	0.087	37	0.062	175
3	क्लोरो-एल्कली	22	0.054	0.09	24	0.102	0.13			2	0.003	2	0.0017			28
4	फटिलाइजर	29	0.478	0.78	37	0.447	0.38									37
5	लौह और इस्पात	67	1.486	2.1	71	2.283	2.85	29	0.457	35	0.1926	23	0.1687	5	0.031	163
6	पल्प और कागज	31	0.119	0.29	29	0.146	0.31	1	0.003	2	0.0098	8	0.0169	2	0.003	42
7	वस्त्र	90	0.066	0.13	99	0.088	0.14	34	0.04	7	0.0204	16	0.0135	7	0.007	163
8	ताप विद्युत	144	3.211	3.06	154	3.134	3.44	37	0.402	17	0.237	17	0.15	-	-	225
9	रेलवे	-	-	-	22	0.077	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	22
10	पेट्रोलियम रिफाइनरी	-	-	-	18	1.098	1.43	-	-	-	-	-	-	20	1.169	20
11	डिस्कॉमों	-	-	-	44	4.675	2.42	-	-	-	-	-	-			44
12	वाणिज्यिक भवनों (होटल)	-	-	-	-	-	-			37	0.0037	31	0.0013	64	0.004	132
13	पेट्रोकेमिकल	-	-	-	-	-	-			8	0.2293					8
	<b>कुल</b>	<b>478</b>	<b>6.686</b>	<b>8.67</b>	<b>621</b>	<b>13.633</b>	<b>14.08</b>	<b>116</b>	<b>1.06</b>	<b>109</b>	<b>0.6998</b>	<b>110</b>	<b>0.513</b>	<b>135</b>	<b>1.276</b>	<b>1073</b>

एमओटीई: मिलियन टन ऑफ तेल समतुल्य

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2547

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।

बिजली संयंत्रों में कच्चे कोयले का उपयोग

2547. श्री अनिल देसाई:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए कच्चे कोयले का उपयोग करने की अनुमति दी है;
- (ख) क्या यह प्रदूषण मुक्त विकल्प होगा;
- (ग) कच्चे कोयले का उपयोग करने वाले विभिन्न राज्यों की बिजली उत्पादन कंपनियों, निजी बिजली संयंत्रों और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) का संयंत्र-वार और कोयले की मात्रा-वार ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन का इरादा अपने खंडवा और सारनी संयंत्रों के लिए पर्यावरण अनुकूल माने जाने वाले धुले हुए कोयले का उपयोग करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने दिनांक 21.05.2020 की राजपत्र अधिसूचना के द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा कोयले के प्रयोग के लिए ऐश सामग्री अथवा दूरी संबंधी व्यवस्थाओं के बिना निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियम बनाए हैं:

(1) उत्सर्जन मानदंडों के लिए प्रौद्योगिकीय समाधान निर्धारित करना :

- (i) वर्तमान अधिसूचनाओं और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा, समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार, विविक्त सामग्री के लिए विनिर्दिष्ट उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करना।
- (ii) वॉशरीज के मामले में, मिडलिंग और अवशिष्टों का एफबीसी (तरलीकृत तल दहन) प्रौद्योगिकी आधारित विद्युत संयंत्रों में उपयोग किया जाएगा। तरलीकृत तल दहन संयंत्रों में मिडलिंग और अवशिष्टों के लिए वॉशरी में लिंकेज होना चाहिए।

(2) ऐश पॉन्ड का प्रबंधन:

- (i) ताप विद्युत संयंत्र का धुले हुए कोयले से बिना धुले हुए कोयले पर परिवर्तित होने के कारण फ्लाई-ऐश पॉन्ड (मौजूदा विद्युत उत्पादन क्षमता के लिए) की अतिरिक्त क्षमता की पात्रता प्राप्त किए बिना, समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में यथा-अधिसूचित, शर्तों का पालन करेंगे।

- (ii) ऐश प्रबंधन के लिए जल की खपत को अनुकूल बनाने हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी समाधान लागू किए जाएंगे;
- (iii) फ्लाई-ऐश का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, स्थल विशिष्ट स्थितियों के आधार पर, यदि आवश्यक हो, तो ऐश का पृथक्करण इलैक्ट्रो-स्टैटिक प्रेसीपिटेटर स्तर पर किया जाए;
- (iv) उपर्युक्त 2(i) के अध्यक्षीन, ताप विद्युत संयंत्र परित्यक्त अथवा चालू खदानों में (खदान मालिक द्वारा सुविधा दी जाएगी) पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के साथ फ्लाई-ऐश का निपटान करें।

### (3) परिवहन:

- (i) ढके हुए रेलवे वैगन (तिरपाल अथवा किसी अन्य माध्यम से ढके हुए रेलवे वैगन) और/अथवा खदान-क्षेत्र से परे ढके हुए वाहक द्वारा ही कोयले का परिवहन किया जाए। तथापि, जब तक रेल परिवहन/वाहक मूलभूत ढांचा उपलब्ध नहीं हो जाता, सड़क परिवहन ट्रकों द्वारा किया जाए जो तिरपाल अथवा किसी अन्य माध्यम से ढके हुए हों।
- (ii) ताप विद्युत संयंत्र द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि
  - क. रेल अथवा वाहक द्वारा परिवहन के लिए, विद्युत संयंत्र में अथवा इसके समीप रेल साइडिंग सुविधा अथवा वाहक सुविधा संस्थापित हो; तथा
  - ख. यदि रेल अथवा वाहक सुविधा की अनुपलब्धता के कारण परिवहन न हो पाए, तो यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित खदान के डिलीवरी स्थान से कोयले का परिवहन ढके हुए ट्रकों (तिरपाल अथवा किसी अन्य माध्यम द्वारा), अथवा किसी अन्य यंत्रिकृत बंद ट्रकों से सड़क-मार्ग द्वारा हो।

**(ख) :** उपरोक्त (क) के अनुसार, दिनांक 21.05.2020 की अधिसूचना ने ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा किए जाने वाले प्रदूषण नियंत्रण उपाय निर्धारित किए हैं। प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियों में विकास के कारण, ताप विद्युत संयंत्र दहन प्रक्रिया में उत्पादित फ्लाई-ऐश को ग्रहण करने के लिए बेहतर उपकरणों से लैस हैं तथा गैर धुले हुए कोयले का अधिक दक्षतापूर्वक एवं मितव्ययता-पूर्वक उपयोग किया जा सकता है।

**(ग) :** वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों, निजी क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों और एनटीपीसी के संयंत्रों को कोयले की प्राप्ति नीचे दी गई है:

	वर्ष 2020-21 में कोयले की प्राप्ति (मिलियन मेट्रिक टन में)
राज्य क्षेत्र के संयंत्र	172.24
निजी क्षेत्र के संयंत्र	161.61
एनटीपीसी	190.46

वर्ष 2020-21 में कोयले की प्राप्ति कोविड-19 महामारी के कारण मांग में कमी के कारण प्रभावित हो गई थी।

**(घ) :** एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्तमान में उनके खण्डवा और सारनी संयंत्रों में धुले हुए कोयले का उपयोग करने की कोई योजना नहीं है।

\*\*\*\*\*